न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 77/2018

अनवान : –

1. रायसिंह पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी गांव नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र राजेराम (राजाराम) जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. दिनेश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. परमेश्वरी पुत्री सुरजाराम पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी नेठराना हाल खेडी तहसील सिरसा।
4. सुरस्ती पुत्री सुरजाराम पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी नेठराना हाल खेडी तहसील भादरा।
5. किरसना पुत्री सुरजाराम पत्नी श्रवण जाति जाट निवासी गांव नेठराना हाल जाण्डवाला तहसील व जिला फतेहाबाद।
6. विमला पुत्री सुरजाराम पत्नी सुशील जाति जाट निवासी गांव नेठराना हाल जाण्डवाला तहसील व जिला फतेहाबाद।
7. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : वादी

वकील श्री सुरजीत बिजारणिया : **प्रतिवादी सं0 1 ता 6**

निर्णय **दिनांक:** 10·5·18

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़)

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक नं0 1 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 123/121 मु0नं0 60 के किला नं0 4 ता 8 की 1.265 है0 किला नं0 13 ता 18 की 1.518 है0 किला नं0 22 की 0.114 है0 किला नं0 23 की 0.164 है0 किला नं0 24 की 0.190 है0 किला नं0 25 की 0.228 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 3.479 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम खातेदारी दर्ज है व रोही मोजा चक नं0 2बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 99/88 मु0नं0 12 के किला नं0 11 ता 14, 17 ता 20 की कुल 2.024 है0 मु0नं0 13 के किला नं0 7, 8, 13 ता 18 की कुल 2.024 है0, इस प्रकार खाते का कुल योग 4.048 है0 नहरी बारानी मय रास्ता व खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0

112/110 मु0नं0 76 के किला नं0 4–5 की 0.506 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम खातेदारी दर्ज है जो कि प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता राजाराम (राजेराम) से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है जिसमें वादी रायसिंह व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 का जन्म से हक व हिस्सा है। वादभूमि से प्रतिवादीया सं0 3 ता 6 परमेश्वरी, सुरस्ती, किरसना, विमला ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 – 2 के पक्ष में हिन्दू रीति–रिवाज व परम्परा मुताबिक परित्याग कर दिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने लोक अदालत भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया।

साक्ष्य वादी में रायसिंह के बयान करवाये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 1 बीआरडब्ल्यु, खाता सं0 123/121 सम्वत् 2071–74 प्रदर्श 2, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 2 बीआरडब्ल्यु, खाता सं0 99/88 सम्वत् 2071–74 प्रदर्श 3, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 3 बीआरडब्ल्यु, खाता सं0 112/110 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम 3 बरवाली सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम 1 बरवाली सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम 2 बरवाली सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 7, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम 2 बीआरडब्ल्यु प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 1, 2, 3 बीआरडब्ल्यु में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम 3 बरवाली सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम 1 बरवाली सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये है उनमें कृषि भूमि वादी के दादा राजाराम वल्द उदा के नाम से दर्ज है जिससे चक 1 व 3 बीआरडब्ल्यु की वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है। परन्तु चक 2 बीआरडब्ल्यु की कृषि भूमि को दादालाई साबित करने में वादी असफल रहा है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक नं0 1 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 123/121 मु0नं0 60 के किला नं0 4 ता 8 की 1.265 है0 किला नं0 13 ता 18 की 1.518 है0 किला नं0 22 की 0.114 है0 किला नं0 23 की 0.164 है0 किला नं0 24 की 0.190 है0 किला नं0 25 की 0.228 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 3.479 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 3 बीआरडब्ल्यु के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संगरिया–हनुमानगढ़

खाता सं0 112/110 मु0नं0 76 के किला नं0 4–5 की 0.506 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त दोनों चकों की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर के व प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 6 ने वाद भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम 1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 77/2018

अनवान : –

1. रायसिंह पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी गांव नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र राजेराम (राजाराम) जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. दिनेश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. परमेश्वरी पुत्री सुरजाराम पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी नेठराना हाल खेड़ी तहसील सिरसा।
4. सुरस्ती पुत्री सुरजाराम पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी नेठराना हाल खेड़ी तहसील भादरा।
5. किरसना पुत्री सुरजाराम पत्नी श्रवण जाति जाट निवासी गांव नेठराना हाल जाण्डवाला तहसील व जिला फतेहाबाद।
6. विमला पुत्री सुरजाराम पत्नी सुशील जाति जाट निवासी गांव नेठराना हाल जाण्डवाला तहसील व जिला फतेहाबाद।
7. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 6 श्री सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक नं0 1 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 123/121 मु0नं0 60 के किला नं0 4 ता 8 की 1.265 है0 किला नं0 13 ता 18 की 1.518 है0 किला नं0 22 की 0.114 है0 किला नं0 23 की 0.164 है0 किला नं0 24 की 0.190 है0 किला नं0 25 की 0.228 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 3.479 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 112/110 मु0नं0 76 के किला नं0 4–5 की 0.506 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त दोनों चकों की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर के व प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 6 ने वाद भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम संयुक्त रूप से 6/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं0 1 सुरजाराम के नाम 1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.5.18... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी